Part XXI A— Recruitment of the posts of Assistants.

Government of Bihar,
Finance Department.

Memo No. I/MI-6025/68—11663/F.,

Patna, the 3rd December, 1968.

To

All Departments of Government (By name),
All Heads of the Department (By name),

Subject :— Substantive appointment of the Temporary Lower Division Assistants working in Secretariat and attached offices (including office of the Chief Conservator of Forest, Ranchi and offices of the Divisional Commissioner) without their being required to pass special Lower Division Assistants Examination.

The State Government had under consideration the question of making the temporary Lower Division Assistants working in Sectt. Departments and attached offices (including offices of the Chief Conservator of Forest and offices of the Commissioners of Divisions) permanent and after careful consideration of the question Government have now decided that these temporary assistants on completion of 3 years continuous service, will be eligible for appointment against available permanent posts on the basis of their record of service. However as the number of permanent posts normally available are not adequate to absorb all the existing temporary assistants, it has been decided further to convert all temporary posts, which has been coming on since more than three years and are likely to continue indifinitely in future, into permanent ones, with the concurrence of the Finance Department. The Departments are accordingly requested to send immediately proposal in a consolidated form in the enclosed proforma I so that the temporary posts that have been in existence for more than 3 years and are likely to continue indifinitely can be converted into permanent posts. On receipt of information about availability of permanent posts in the various Departments, Finance Department would issue formal orders of allotment as usual.

2. In matters of allotment to permanent posts, such temporary Lower Division Assistants who have already passed the Special Lower Division Assistants Examination, held in the year 1966, will have priority in allotment and seniority in cadre over such temporary Lower Division Assistants who will now become eligible for appointment against permanent posts on the basis of completion of at least three years continuous service and their having satisfactory records of service. Further, on their appointment to permanent posts the interse seniority of these unpassed temporary assistants will be determined on the basis of their continuous length of service as temporary of Lower Division Assistants. All the temporary assistants on appointment to permanent posts will be on probation for a period of two years and would have to pass the Lower Division Confirmatory Examinations before they could be confirmed.

3. In persuance of the decision now taken the Departments of the Secretariat and attached offices are requested to send a list of unpassed temporary Lower Division Assistants who have put in three years of continuous service as temporary Lower Division Assistant on 30.11.1968 to enable the Finance Department to prepare the panel of these assistants eligible for permanent allotment. The information may be sent in the enclosed proforma II.

4. It has also been decided that hereafter no Department of Government should have power to appoint to a post of Lower Division Assistant any one whose name is not recommended by the Finance Department.

5. Receipt of the letter may kindly be acknowledged.

By order of the Governor of Bihar.

Sd./— P. S. Appu,
Secretary to Government.

No. J. C. C. 2-1032/69—12925,

Government of Bihar,
Finance Department.

To

All Departments of Government,

All Heads of Departments attached to Secretariat,

All Divisional Commissioners,

Chief Conservator of Forests, Ranchi.

Dated Patna, the 12th September, [illegible]

Subject :—Conversion of temporary posts of Lower Division Assistants in Secretariat and attached offices (including office of the Chief Conservator of Forests, Ranchi and offices of the Divisional Commissioners) into permanent ones and appointment of temporary Lower Division Assistants on substantive basis there to.

The undersigned is directed to refer to Government orders contained in memo no. [illegible] dated the 2nd September, 1969 of department of co-ordination (Cabinet Secretariat) wherein it has been decided that all temporary posts of Lower Division Assistants which were in existence in Secretariat and its amalgamated and attached offices of the Heads of the Departments on or before 1st April, [illegible] and are still in existence should be made permanent straightway under intimation to Finance Department immediately.

It has already been decided in memo no. 11663 dated the 3rd December, 1968 of Finance Department that the temporary Lower Division Assistants on comletion of three years' continuous [illegible] November, 1968 will be eligible for appointment against the available permanent posts on the basis of record of their service.

3. In the context of the above orders, the temporary posts of Lower Division Assistants should be made permanent as indicated in memo referred to in paragraph 1 above and to appoint on these posts the temporary Lower Division Assistants in the Departments/Heads of Departments in which they are at present employed in the following order of precedence, viz. categories (a), (b) and (c) Category (A).

All such temporary Lower Division Assistants who were allotted to permanent Lower Division posts vide Finance Department memo no. 1959, dated the 19th September, 1968 and who could not join their respective permanent appointments due to one or other reasons.

CATEGORY (B)—

All such temporary Lower Division Assistants who have qualified at the Special Lower Division Examination held in 1966 and are awaiting permanent absorption against permanent posts should be appointed on the permanent posts thereafter.

CATEGORY (C)—

All such Lower Division temporary Assistants who have neither passed the General Lower Division Examination nor Special Lower Division Examination but have completed three years of continuous temporary service on 30th November, 1968 should be appointed on the remaining permanent posts according to their continuous length of service as temporary Lower Division Assistants.

4. All the temporary Assistants mentioned in paragraph 3 above on appointment against permanent posts will remain on probation for a period of two years.

5. According to rule 9 (2) (b) of chapter 2 of the Secretariat Instructions a temporary Assistant shall, when appointed on probation. undergo a course of training for a maximum period of about nine months, and on completion of the course, he shall be required to pass an examination on the subjects taught in the training class, and shall not be eligible for confirmation until he has passed the examination. If any probationer fails to pass the pre-confirmatory examination within three years i. e. after getting six chances his record should be reviewed by the Secretary or the Head of the Department. If his record is bad, he should be discharged from service. But if his record is otherwise alright, he may be allowed additional chances for passing the pre-confirmatory examination as laid down in rule 9 (2) (b) of Annexure to Chapter II of the Secretariat Instruction. So long the probationer Lower Division Assistant does not pass the pre-confirmatory examination completely he will not be eligible for confirmation as a Lower Division Assistant and he will not be entitled to next increment. He will also not be eligible for promotion to Upper Division posts.

6. The conditions contained in paragraphs 4 and 5 should be incorporated in the office order of permanent appointment of temporary Lower Division Assistants.

7. The information regarding permanent appointment of temporary Lower Division Assistants may be communicated to the Finance Department latest by the 30th September, 1969 in the enclosed proforma for the purpose of preparation of the joint cadre gradation list.

By order of the Governor of Bihar,

S. Mukherjee,
Deputy Secretary to Government.

बिहार सरकार

वित्त विभाग

ज्ञाप संख्या—सं० सं० प्र० १०१४/७१-६५३८/वि०, पटना, दिनांक २ जुलाई, १९७१।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग/सचिवालय से संबद्ध सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/मुख्य वन संरक्षक, राँची।

विषय :— सचिवालय के सभी विभाग, विभाग से सम्बन्द्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालयों, प्रमंडलीय आयुक्त के कार्यालयों एवं मुख्य वन संरक्षक, राँची के कार्यालय में निम्नवर्गीय सहायकों के पदों का स्थायीकरण एवं उनपर नियुक्ति।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या—१२६२५, तिथि १२-९-६९ (प्रतिलिपि संलग्न) में निर्देश दिया गया था कि मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या—४९४८, दिनांक २-९-६९ के अनुसार जिन निम्नवर्गीय सहायकों के पदों का स्थायीकरण हुआ था अर्थात् जो पद तिथि १-४-६५ या उसके पूर्व से अस्थायी रूप से चले आ रहे थे उन्हें स्थायी बनाया गया था उन पर निम्नांकित तीन प्रकार के अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों की नियुक्ति की जाय।

(क) ऐसे निम्नवर्गीय सहायक जिन्हें वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या— ९१५९, तिथि ९१-९-६८ के द्वारा स्थायी निम्नवर्गीय सहायक के पद पर आवंटित किया गया था, ये निम्नवर्गीय सहायक १९६१-६२ में सामान्य निम्नवर्गीय सहायक की भर्ती परीक्षा में या उसके पूर्व किसी विशेष/सामान्य निम्नवर्गीय सहायकों की भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे।

(ख) ऐसे अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक जो १९६६ की विशेष निम्नवर्गीय सहायकों की परीक्षा में उत्तीर्ण थे और जिनकी नियुक्ति स्थायी पद पर नहीं हो पायी थी।

(ग) ऐसे निम्नवर्गीय सहायक जिनकी लगातार संतोषजनक सेवा तिथि ३०-११-६८ को ३ वर्ष होने के कारण उन्हें स्थायी रूप से नियुक्त करने का निर्णय हुआ था।

२— उपर्युक्त तीन श्रेणियों के अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों में से बहुतसे सहायक स्थायी पद पर नियुक्त किये गये हैं परन्तु अभी भी इन तीन श्रेणियों के सहायक हैं जिनकी स्थायी नियुक्ति स्थायी पदों के नहीं उपलब्ध रहने से नहीं हो पाई है।

३— मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश संख्या-२६७९, तिथि ४-६-७१ (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार जिन पदों की लगातार स्वीकृति ३१-३-७० से तीन वर्ष की हो चुकी है और जिन्हें भविष्य में भी बने रहने की पूर्ण आशा है उन्हें स्थायी किया जायगा। यदि सम्बद्ध विभागाध्यक्ष संतुष्ट हों और वे लिखित रूप से आदेश में अंकित करें कि ऐसे पद तीन वर्ष पहले से चले आ रहे हैं और भविष्य में उनके बने रहने की पूर्ण आशा है। मंत्रिमंडल सचिवालय के इस आदेश के अनुसार निम्न-

वर्गीय सहायक के जो पद स्थायी होंगे उस पर उपर्युक्त तीन श्रेणियों के अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों में से पहले श्रेणी (क) उसके बाद श्रेणी (ख) और तदुपरान्त श्रेणी (ग) के सहायकों को परीक्ष्यमाण रूप से नियुक्त किया जाय। इनकी परीक्ष्यमाण नियुक्ति में वित्त विभाग के परिपत्र स०-६३५६/वि०, दिनांक ५-६-७१ को ध्यान में रखना है जिसके अनुसार उपर्युक्त श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के सहायकों को प्राक् सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दी गयी है और श्रेणी 'ग' के सहायकों की प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा में बैठने के पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट दी गई है।

४— उपर्युक्त निर्देश के अनुसार अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों के स्थायी पद पर नियुक्ति के बाद यदि किसी विभाग। विभागाध्यक्ष के कार्यालय में ऐसे उपर्युक्त तीन श्रेणी के अस्थायी निम्नवर्गीय सहायक रह जायं जिनकी स्थायी नियुक्ति उस कार्यालय में स्थायी औपबंधिक स्थाई पद नहीं रहने के कारण नहीं हो सकी हो तो उनके बारे में सूचना इस परिपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र सं०-२ में दी जाय। जिन सहायकों की परीक्ष्यमाण नियुक्ति इस परिपत्र के अनुसार होगी उनके बारे में सूचना संलग्न प्रपत्र संख्या १ में दी जाय। इन सूचनाओं को तिथि २५-७-७१ तक अवश्य वित्त-विभाग में भेज दिया जाय ताकि अस्थायी सहायकों के स्थायीकरण के बारे में और भी आवश्यक कारंवाई की जा सके।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—सुदेव मुखर्जी,

सरकार के उप सचिव

बिहार सरकार

वित्त विभाग

—: संकल्प :—

विषय— कम-से-कम प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसचिवीय कर्मचारियों का सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में निम्नवर्गीय सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रबंध।

१ कृपया वित्त विभाग का संकल्प संख्या- ११८८९/वि०, दिनांक २८-१०-१९७० पढ़ें।

२ कम-से-कम प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण दिनचर्यालिपिक, टंकक आदि अनुसचिवीय कर्मचारियों को सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालय में निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्त करने के लिए दिनांक ९-५-१९७१ को परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसचिवीय कर्मचारियों को निम्नवर्गीय सहायक के अस्थायी पद पर नियुक्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(क) तिथि ९-५-१९७१ को कम-से-कम प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसचिवीय कर्मचारियों की जो परीक्षा ली गई थी उसमें जिन्होंने कम-से-कम ५० प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं उनको निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्त किया जाय।

(ख) सचिवालय के विभागों एवं सम्बद्ध कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की संख्या अनुपातिक दृष्टिकोण से बहुत ही कम है इसलिये इस श्रेणी के जितने भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं और जिनकी संख्या-२५ है उन्हें निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्त कर लिया गया है।

(ग) तिथि १-२-१९७२ को सचिवालय के विभाग, सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के कार्यालयों, मुख्य वन संरक्षक, रांची एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के कार्यालयों में कम-से-कम प्रवेशिका परीक्षा में उत्तीर्ण दिनचर्यालिपिक, टंकक आदि जो अनुसचिवीय कर्मचारी हैं और जिनकी आयु ४५ साल से कम हो उनके लिए एक विशेष परीक्षा ली जाय। इस परीक्षा में भी दो पत्र होंगे जिनका विषय संक्षिप्त लेखन एवं लेख तथा प्रारूप और टिप्पणी प्रस्तुत करना होगा। इससे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य परीक्षार्थियों को ५० प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के परीक्षार्थियों को ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा एवं सफल परीक्षार्थियों की नियुक्ति कंडिका 'ख' द्वारा भरे जाने के उपरान्त बची हुई शेष रिक्तियों पर की जायगी।

३— भविष्य में सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों के निम्नवर्गीय सहायकों के पदों की रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये निम्नांकित नियमानुसार कारंवाई करने के लिये सिद्धांत के रूप में निर्णय हुआ है :- प्रतिशत ७५ पद परीक्षाफल के आधार पर सीधी भर्त्ती द्वारा एवं बाकी प्रतिशत २५ पद उन अनुसचिवीय कर्मचारियों की परीक्षा लेकर भरे जाएंगे जिनका उल्लेख संकल्प की कंडिका-२ के 'क' 'ख' एवं 'ग' में किया गया है। ऐसी परीक्षा १९७२ से प्रारम्भ होनी चाहिए।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /— सुदेव मुखर्जी,

सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या सं० सं० प्र० २-१०१२ /७०-७५१ / वि०, पटना, दिनांक १९ जनवरी, १९७२।

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

२— अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को उपर्युक्त निर्णय की सूचना कृपया दी जाय।

ह० /— सुदेव मुखर्जी,

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार,

वित्त विभाग

—: संकल्प :—

विषय :— कम-से-कम प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में उर्त्तीण अनुसचिवीय कर्मचारियों की सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यलयों में निम्नवर्गीय सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिये प्रबंध।

१— सचिवालय अनुदेश के नियम के अनुसार राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय के अनुसचिवीय कर्मचारी को जिनकी उम्र जिस साल निम्नवर्गीय सहायकों की भर्त्ती की परीक्षा हो उस साल पहली फरवरी को ३५ वर्ष से कम हो और जिन्होंने लगातार कम-से-कम ५ साल की सेवा पूरी की हो, इस तरह की भर्ती-परीक्षा में बैठने का अधिकार है।

२— १९६१ में निम्नवर्गीय सहायकों की भर्ती की परीक्षा हुई थी। बहुत से अन्यान्य निम्नवर्गीय सहायकों के स्थायीकरण के लिए पदों की आवश्यकता को देखते हुए निम्नवर्गीय सहायकों की परीक्षा १९६२ से स्थगित रही है। इस कारण कम-से-कम प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में उर्त्तीण दिनचर्यालिपिक, टंकक आदि अनुसचिवीय कर्मचारियों को सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालय में निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्त होने का अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार के कर्मचारियों को निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्त करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :—

(क) परीक्षा-वर्ष के पूर्व साल की १ली जुलाई से परीक्षा-वर्ष के ३० जून तक जितने निम्नवर्गीय सहायकों के पद रिक्त होंगे उसके प्रतिशत १५ को सचिवालय के विभागों, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालयों एवं राज्य सरकार के अन्य सभी कार्यालयों के कम-से-कम प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में उर्त्तीण अनुसचिवीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संरक्षित रखा जाय।

(ख) उपर्युक्त अनुसचिवीय कर्मचारियों की निम्नवर्गीय सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवर्ष एक परीक्षा ली जाय जिसमें सचिवालय के विभागों, सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालयों एवं राज्य सरकार के अन्य सभी कार्यालयों के कम-से-कम प्रवेशिका / या उसके समकक्ष परीक्षा में उर्त्तीण कर्मचारी, जिनकी आयु परीक्षा-वर्ष की १ली फरवरी को ३५ साल से अधिक न हो और जिनकी सेवा कम-से-कम ५ साल की हो, बैठ सकते हैं।

(ग) उपर्युक्त परीक्षा में दो पत्र होंगे। पहले पत्र में संक्षिप्त लेखन के लिए ५० अंक और लेख के लिए ५० अंक रहेगा अर्थात पत्र का पूर्णांक १०० होगा। दूसरे पत्र में प्रारूप एवं साधारण विषयों पर मन्तव्य लेखन के लिए पूर्णांक १०० होगा।

(च) कुल उपर्युक्त दो पत्रों के २०० पूर्णांक में प्रतिशत ४० प्राप्त करने से उत्तीर्ण माना जायगा।

(छ) उत्तीर्ण उम्मीदवारों की सूची में से अगले परीक्षा-फल घोषित होने तक निम्नवर्गीय सहायकों के उपर्युक्त संरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए आवंटन किया जायगा।

(ज) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्णता प्राप्त करने का अंक प्रतिशत ३५ होगा और १५ प्रतिशत संरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए संरक्षित पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायगी।

(झ) उपर्युक्त परीक्षा के लिए परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष तथा परीक्षकों का चयन मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर किया जायगा।

(ञ) उपर्युक्त परीक्षा में बैठनेवाले अनुसचिवीय कर्मचारियों को ५/—रु० परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए परीक्षा शुल्क १रु० २५ पैसे होगा।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार, सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- सुदेव मुखर्जी,
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या-सं० सं० प्र० २-१०१२/७०-११८८९/वि०, पटना—१५, दिनांक २८-१०-१९७०।

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला-पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

२— अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को उपर्युक्त निर्णय की सूचना दे दी जाय।

ह०/— सुदेव मुखर्जी,
सरकार के उप सचिव।

पत्रसंख्या—२०५९१

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग ।

प्रेषक :—

श्री आदित्य प्रसाद घोष,

सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव

सचिवालय के संलग्न सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलायुक्त । राज्यपाल सचिवालय

मुख्य मंत्री सचिवालय । मुख्यवन संरक्षक, रांची

पटना, दिनांक १५ नवम्बर, १९७२ ।

विषय :— प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्नवर्गीय सहायकों की सामान्य भर्ती की व्यवस्था ।

महोदय,

निदेशानुसार मुझे कहना है कि निम्नवर्गीय सहायकों के पदों पर भर्त्ती के लिये १९६१ साल के बाद सामान्य प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली गयी है जिसको पुनर्जीवित करने की दिशा में सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आप से अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों की सूचना संलग्न प्रपत्र में दिनांक ३० नवम्बर, ७२ तक [illegible] अधोहस्ताक्षरी को भेजने की कृपा करें ।

२॰ उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अबसे तदर्थ आधार पर निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जायें । यदि किसी विशेष परिस्थिति में निम्नवर्गीय सहायकों की नियुक्ति आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने तक स्थगित नहीं रखा जा सके तो ऐसी परिस्थिति में कृपया कार्मिक विभाग की पूर्व सहमति प्राप्त कर लेने के बाद ही ऐसी नियुक्तियां करें ।

विश्वासभाजन

ह०/ आदित्य प्रसाद घोष,

सरकार के उप सचिव ।

...६१३-का० ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक २९ जून, १९७३ ।

विषय—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सभी अराजपत्रित तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था ।

नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक विभाग) के संकल्प संख्या ११०८५-नि०, दिनांक ३ जुलाई १९७० (प्रतिलिपि अनुलग्न) के द्वारा राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी तकनीकी एवं अतकनीकी तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय एवं कार्यपालक पद, जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिग्री है एवं डिग्री से कम है, उन सभी पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगी । इसके लिए सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारीगण अपने अधीनस्थ विभागों के सभी तकनीकी एवं अतकनीकी पर्यवेक्षकीय एवं कार्यपालक पदों की सम्भावित रिक्तियों की सूचना लोक सेवा आयोग को प्रतिवर्ष दें ।

२ । परन्तु राज्य सरकार के अधीन तृतीय वर्ग के अराजपत्रित पदों पर नियुक्तियों का कार्य केन्द्रीयकृत रूप से करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन था । भलीभांति विचार के पश्चात् राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के तृतीय वर्ग के अराजपत्रित पदों, जैसे निम्नवर्गीय सहायक, आशुलिपिक, टंकक, दिनचर्यालिपिक, अभिलेखवाह पद पर नियुक्ति के लिए आयोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा और उसके द्वारा तैयार तथा अनुशंसित की गयी सूची से उक्त कोटि के पदों पर नियुक्ति की जायेगी । यह काम तत्काल दो वर्षों के लिए परीक्षण रूप से राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है । आयोग ने इसमें अपनी सहमति दी है ।

३ । इस अतिरिक्त कार्य के ठीक रूप से संचालन हेतु लोक सेवा आयोग के संगठन को और सुदृढ़ करना अपेक्षित है ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था उचित रूप से कराई जा सके ।

इस कार्य में सहायता पहुँचाने के लिए लोक सेवा आयोग को राज्य असैनिक सेवा के एक वरीय पदाधिकारी की सेवा उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित की जाय ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महालेखाकार, बिहार पटना/रांची सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई के लिये अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य नारायण झा,

सरकार के उप-सचिव ।

संख्या ३/आर १-८०१/७२—६१३-का०।

पटना, दिनांक २९ जून, १९७३।

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित।

२। लोक सेवा आयोग से अनुरोध है कि इस अतिरिक्त कार्य के निर्वहन के लिए आयोग के संगठन को सुदृढ़ करने के लिए अराजपत्रित कर्मचारियों की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रस्ताव राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेजने की कृपा करें।

३। निम्नवर्गीय सहायक, आशुलिपिक, टंकक, दिनचर्यालिपिक तथा अभिलेखवाह के पद पर नियुक्ति के लिए पाठ्य सूची सचिवालय अनुदेश में विहित है। आयोग कृपया इस पाठ्य सूची के आधार पर तथा अन्य कोटि के पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं की पाठ्य-सूची का प्रारूप तैयार कर कार्मिक विभाग में अग्रसारित करने का कष्ट करे जिसपर सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर आयोग को सूचित किया जायगा।

४। नियुक्ति विभाग (अब कार्मिक विभाग) के संकल्प संख्या ११०८५, दिनांक ३ जुलाई, १९७० के द्वारा यह निर्णय लिया जा चुका है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा शुल्क १० रु० होंगे (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए २.५० पैसा)।

सूर्य नारायण झा,

सरकार के उप-सचिव।

..........११०८९-नि० ।

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना १५, दिनांक १२ आषाढ़, १८९२ (श०) /३ जुलाई, १९७० ।

विषय—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था ।

चूंकि बिहार राज्यपाल ने २७ मार्च, १९६७ को बिहार विधान-मंडल के संयुक्त अधिवेशन में १३ सूत्री कार्यक्रम वर्णन करते हुए कहा था कि परिस्थिति अनुकूल होने पर और साधन आदि की व्यवस्था हो जाने पर अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए एक पृथक कनीय लोक सेवा आयोग को स्थापना की जायगी, लेकिन चुंकि संविधान के अनुच्छेद ३१५ (१) के अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन लोक सेवा आयोग को ही करना है, अत: सरकार ने निर्णय लिया है कि यह काम भी शनैः-शनैः बिहार लोक सेवा आयोग को ही सौंप दिया जाय ।

२। चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति के लिए परिपाटी यह है कि सभी विभागों/कार्यालयों में एक प्रवर समिति बनाई जाती है जो पदों को विज्ञापित कर प्रत्याशी उम्मीदवारों का योग्यतानुसार चुनाव करती है । सरकार ने निर्णय लिया है कि यही परिपाटी फिलहाल कायम रखी जाय और उन पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्य लोक सेवा आयोग को नहीं सौंपा जाय ।

३। उपर्युक्त परिपाटी तृतीय तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी है । केवल कुछ अतकनीकी तृतीय वर्गीय पद पर, जिनपर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि है, नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवारों की सूची से की जाती है । यदि सभी तकनीकी एवं अतकनीकी तृतीय वर्गीय पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी कार्य को बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपा जाय तो सचिवालय के निम्नवर्गीय सहायक, आशुलिपिक टंकक, लिपिकलिपिक एवं मुफस्सिल कार्यालयों के सभी कनीय एवं वरीय लिपिक के पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई आयोग को करनी होगी । परन्तु इस प्रश्न पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने महसूस किया है कि फिलहाल सभी तृतीय वर्गीय पदों के लिए आयोग द्वारा केन्द्रीय परीक्षाओं का संचालन करना संभव नहीं होगा चूंकि उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक हो जाने की संभावना है कि उसका अनुमान लगाना तथा उनके लिए आवश्यक साधनों की समुचित व्यवस्था करना संभव नहीं होगा अत: सरकार ने निर्णय किया है कि प्रारंभ में लोक सेवा आयोग केवल सभी तकनीकी एवं अतकनीकी तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय एवं कार्यपालक पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिवर्ष परीक्षाओं का संचालन करे । इसके लिए अब से सम्बन्धित नियुक्ति पदाधिकारीगण अपने अधीनस्थ विभागों के सभी तकनीकी एवं अतकनीकी पर्यवेक्षकीय पदों की रिक्तियों की सूचना आयोग को प्रतिवर्ष दें । जिन पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर उम्मीदवारों का मनोनयन करेगा उनकी एक सूची उदाहरणार्थ संलग्न है । इसके अतिरिक्त और भी जो तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय एवं कार्यपालक पद हों उसकी एक सूची प्रशासकीय विभाग लोक सेवा आयोग एवं नियुक्ति विभाग को भेज दें ।

४। संलग्न सूची में उल्लिखित कुछ ऐसे भी पद हैं जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिग्री है और उनपर नियुक्तियां आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होती रही है। इस कोटि के कई अन्य पर्यवेक्षकीय पदों पर नियुक्तियां उक्त परीक्षा के आधार पर नहीं हो रही है। अब वर्तमान निर्णय के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा परीक्षा के आधार पर भरनेवाले इस कोटि के पदों की संख्या में भी काफी वृद्धि होगी। अतः ऐसे सभी तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय पद जिनके लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिग्री है उनपर नियुक्ति के लिए आयोग एक पृथक प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन करेगा। साथ ही जिन तृतीय वर्गीय पर्यवेक्षकीय एवं कार्यपालक पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता डिग्री से कम है उन पदों पर नियुक्ति के लिए भी आयोग प्रतियोगिता परीक्षाओं का संचालन प्रतिवर्ष करेगा। तकनीकी और अतकनीकी पदों के लिए अलग परीक्षाएं होंगी।

५। उपर्युक्त परीक्षाओं की पाठ्य सूचियों का प्रारूप आयोग तैयार कर नियुक्ति विभाग में अग्रसारित करेगा जिस पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर आयोग को सूचित किया जायेगा।

६। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा-शुल्क १० रु० होंगे (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए २ रु० ५० पैसे)।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

२। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/महालेखापाल बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
बसंत कुमार दुबे,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/आर१-८०१/७०—११०८५-नि०।

पटना, दिनांक १२ आषाढ़, १८९२ (श०)/३ जुलाई, १९७०।

प्रतिलिपि सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/महालेखापाल, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिए अग्रसारित।

बसंत कुमार दुबे
सरकार के उप-सचिव।

बि० स० मा० मु०(पी० एन्ड ए०) ४६—१,०००—१६-१०-१९७५—ब० प्रसाद।

संकल्प संख्या ९/नि० १-१०७/७३—१७३-का०

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

संकल्प

पटना—१५, दिनांक १२ फरवरी, १९७४

विषय—कम-से कम प्रवेशिका या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अनुसचिवीय कर्मचारियों का सचिवालय एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्ष के कार्यालयों में निम्नवर्गीय सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिये प्रतियोगिता परीक्षा।

१. वित्त विभाग से निर्गत संकल्प संख्या ११८८९, दिनांक २८ अक्तूबर, १९७० तथा संकल्प संख्या ७५१, दिनांक १९ जनवरी, १९७२ में निर्गत सरकारी आदेश के अनुसार दिनांक ९ मई, १९७१ को निम्नवर्गीय सहायक के पद पर नियुक्ति के लिये उपर्युक्त कोटि के कर्मचारियों की एक विशेष परीक्षा संचालित की गयी थी, जिसमें राज्य भर के वैसे अनुसचिवीय कर्मचारियों को सम्मिलित होने की छूट थी, जिनकी आयु दिनांक १ फरवरी, १९७१ को ३५ वर्ष से अधिक नहीं थी, जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम-से-कम प्रवेशिकोत्तीर्ण थी। १९६१ के पश्चात् १९७२ तक सामान्य निम्नवर्गीय परीक्षा नहीं होने के फलस्वरूप इस कोटि के बहुत से अनुसचिवीय कर्मचारियों की उम्र ३५ की सीमा को पार कर गयी थी और उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिल सका। इस वर्ग के कर्मचारियों ने अभिवेदन दिया और मांग की कि उन लोगों को इस परीक्षा के लिये विशेष अवसर प्रदान किया जाय। चूंकि करीब १२ वर्षों तक सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा नहीं हुई, इसलिये उक्त मांग में औचित्य महसूस किया गया।

२. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में सरकार ने निम्नांकित निर्णय लिया है :—

(क) सचिवालय, विभागाध्यक्षों तथा अन्य सरकारी कार्यालयों में पर्यालिपिक, टंकक आदि के वेतनमान में समकक्ष पदों पर काम करनेवाले ऐसे अनुसचिवीय कर्मचारियों :—

(i) जिनकी आयु दिनांक १ फरवरी, १९७३ को ३५ वर्ष से ऊपर हो, किन्तु ४५ वर्ष से अधिक नहीं हो।

(ii) जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम-से-कम प्रवेशिकोत्तीर्ण हो, और

(iii) जिनकी सेवा दिनांक १ फरवरी, १९७३ को कम-से-कम लगातार ५ वर्षों की हो

के लिये एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाय।

(ख) इस परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र का पूर्णांक १०० होगा। प्रथम पत्र के अन्तर्गत ५० अंक परिसंक्षेपण और ५० अंक लेख के लिये होंगे तथा द्वितीय पत्र में १०० अंक प्रारूप एवं मन्तव्य लिखने के लिये प्रश्न रहेंगे। दोनों पत्रों में ४० प्रतिशत अंक उत्तीर्णांक होंगे, किन्तु अनुसूचित जन-जाति के उपर्युक्त योग्यता वाले अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये ३५ प्रतिशत अंक ही उत्तीर्णांक माना जायगा।

(ग) सरकार के पूर्व आदेशानुसार स्थायी निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों में ऐसे कर्मचारियों के लिए सुरक्षित २५ प्रतिशत पदों में उपलब्ध रिक्त पदों पर योग्यता क्रम से इनकी नियुक्ति की जाय।

३. प्रत्येक परीक्षार्थी को राज्य सरकार के कोषागार में ८ (आठ) रुपये परीक्षा शुल्क "२१ अ-विविध विभाग-परीक्षा-शुल्क-अन्यान्य परीक्षा शुल्क" शीर्षक में जमा कर कोषागार चालान की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ भेजना पड़ेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा शुल्क मात्र २ रु० (दो रुपये) होंगे।

४. परीक्षा की तिथि, समय, स्थान आदि के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग (परीक्षा-शाखा) द्वारा विस्तृत सूचना प्रसारित की जायगी।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

२. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति महालेखाकार, बिहार/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिये अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप-सचिव।

ज्ञाप संख्या ९/नि० १-१०७/७३—१७३-का०

पटना—१५, दिनांक १२ फरवरी, १९७४।

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, एस० पी० वर्मा रोड, पटना

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी जिला पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई के लिये अग्रसारित।

२. अनुरोध है कि अपने-अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों को उपर्युक्त निर्णय की सूचना अविलम्ब प्रसारित करा दें।

सूर्य नारायण झा,

सरकार के उप-सचिव।

बि० स० मा० मु० (पी० एण्ड ए०) ७२—२,०००—१-१२-१९७५—न० प्रसाद

पत्र संख्या — 534

बिहार सरकार,
कार्मिक विभाग।

प्रेषक,

श्री सूर्य नारायण झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव,

सचिवालय से संलग्न सभी विभागाध्यक्ष,

विभागाध्यक्ष (प्रमण्डलीय आयुक्तों समेत),

मुख्य वन संरक्षक,

मुख्य मन्त्री के सचिव,

राज्यपाल के सचिव।

पटना-१५, दिनांक १६ मार्च, १९७४

विषय :— निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति पर रोक।

महोदय,

निदेशानुसार, इस विभाग के परिपत्र संख्या २०५९३ का० दिनांक १५-११-१९७२ को प्रसंगित करते हुए, मुझे कहना है कि विभिन्न विभागों से निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों पर तदर्थ आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु या तो उम्मीदवारों की मांग की जाती है या विभाग के टंकक / लिपिकों को उक्त पद पर नियुक्ति के प्रस्ताव में सहमति मांगी जाती है। चूंकि सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, १९७३ का परिणाम शीघ्र ही घोषित होनेवाला है, सरकार ने निर्णय लिया है कि निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों पर इस अवधि में तदर्थ आधार पर किसी भी स्रोत से कोई नियुक्ति नहीं की जाय और इस बीच उपलब्ध सहायकों से ही विभाग / कार्यालय के कार्य सम्पादित करवाये जायं। परीक्षा-परिणाम घोषित होते ही सभी विभागों को आवश्यक संख्या में सफल-सूची से उम्मीदवार आवंटित किये जायेंगे।

(२) कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या २०५९३ का० दिनांक १५-११-१९७२ के प्रतिकूल की गई नियुक्तियां अनियमित मानी जायेंगी।

विश्वासभाजन,

(सूर्य नारायण झा),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप संख्या ३/नि० १—१०८/७३ का०—५२२

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

पटना-१५, दिनांक ५ अप्रील, १९७४।

सेवा में

सरकार के सभी विभाग / विभागाध्यक्ष,

संलग्न कार्यालय।

विषय :— निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रश्न।

आये दिन सरकार के विभिन्न विभागों / कार्यालयों द्वारा कार्मिक विभाग को, निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों को विभागीय टंककों, चर्वालिपिकों या समकक्ष स्तर के कर्मचारियों में से नियुक्ति के द्वारा तदर्थ आधार पर भरने हेतु, प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। सरकार ने इन प्रस्तावों पर भलीभांति विचार करने के बाद निर्णय लिया है कि चूंकि इस तरह की नियुक्तियों से बाद में जटिल समस्याएं उठ खड़ी होती है, इस तरह की नियुक्तियां एकदम नहीं की जायं। कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-२०५९३, दिनांक १२-११-१९७२ द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश निर्गत किया जा चुका है कि चूंकि सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित हो चुकी है, निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों पर किसी स्रोत से कोई नियुक्ति नहीं की जाय। सरकार के इस निर्णय की अवहेलना कर यदि कोई नियुक्ति की जाती है तो उसे अनियमित घोषित कर दिया जायगा।

२— सरकार उक्त कोटि के कर्मचारियों के लिए निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त पदों का २५% पद सुरक्षित करने की नीति घोषित कर चुकी है। इन सुरक्षित पदों पर उसी कोटि के कर्मचारियों के लिये आयोजित विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को नियुक्त करने का सरकारी निर्णय है। ऐसी परीक्षा, १९७१ में आयोजित हो चुकी है और उसमें सफल उम्मीदवारों में से जो नियुक्तियां की गई हैं, उन्हें निम्नवर्गीय सहायक के २५% रिक्त पदों पर समंजित करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

(सूर्य नारायण झा),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं० १०/परी० १२०१९/७४ का० —६०६

बिहार सरकार

कार्मिक विभाग

सेवा में

सरकार के सभी विभाग,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलायुक्त,

मुख्य वन संरक्षक, रांची।

पटना-१५, दिनांक ८ जून, १९७६।

विषय :— १९७१ वर्ष की विशेष निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों का स्थायीकरण।

वित्त विभाग से निर्गत सरकारी संकल्प संख्या-७५१ वि०, दिनांक १९-१-१९७२ के साथ पठित उसी विभाग से निर्गत सरकारी संकल्प संख्या-१८६९/वि०, दिनांक २८-१०-१९७० में लिए गये सरकारी निर्णय के अनुसार मई, १९७१ में पत्राविलिकों, टंककों एवं समकक्ष स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिये आरक्षित निम्नवर्गीय सहायकों के २५% कोटा की प्रतिनियुक्ति हेतु एक विशेष निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा की सफल सूची से योग्यता-क्रमानुसार विभिन्न विभागों में निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों पर तत्काल अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु कुल ४२१ उम्मीदवारों का आवंटन किया गया, जिनमें लगभग ३५८ ने अपना पदभार ग्रहण किया।

२— सचिवालय अनुदेश में विहित निम्नवर्गीय सहायक भर्ती नियमावली के अनुबन्ध (अध्याय-९) के नियम (२) की टिप्पणी-२ में सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा में कम-से-कम प्रवेशिकोत्तीर्ण पत्राविलिक, टंकक एवं समकक्ष स्तर के ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने ५ वर्ष की सरकारी सेवा पूरी कर ली हैं, उन्हें ३५ वर्ष की आयु तक परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रावधान है। चूँकि १९६२ से १९७२ तक सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, विशेष परिस्थितिवश आयोजित नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप उक्त स्तर के कर्मचारियों को सचिवालय के उपर्युक्त प्रावधान के लाभ से वंचित रहना पड़ा। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त श्रेणी के अनुसचिवीय कर्मचारियों (लिपिकों) की हो; वित्त विभाग के उपर्युक्त संकल्प के आधार पर १९७१ वर्ष में विशेष निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था।

१९७१ वर्ष की विशेष परीक्षा के आधार पर नियुक्त निम्नवर्गीय सहायकों के एतद् सम्बन्धी अभिवेदन पर भलीभांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने यह निर्णय लिया है कि १९७१ की विशेष निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सहायकों को, १९६२ से १९७२ के बीच हुई निम्नवर्गीय सहायकों के रिक्त स्थाई पदों के २५% कोटा का लाभ देने के लिए, उनकी नियुक्ति की तिथि से उन्हें स्थाई पदों के प्रति परीक्ष्यमाण घोषित किया जाय।

३— अतएव अधोहस्ताक्षरी को अनुरोध करना है कि १९७१ वर्ष की विशेष परीक्षा की सफल सूची से वित्त विभाग और कार्मिक विभाग द्वारा किये गये आवंटन के आधार पर नियुक्त अस्थायी निम्नवर्गीय सहायकों को उनके पद ग्रहण की तिथि से परीक्ष्यमाण घोषित कर, उसकी सूचना कार्मिक विभाग (प्रशाखा-१०) को यथाशीघ्र भेजी जाय।

४— इस तरह परीक्ष्यमाण घोषित किये गये सहायकों को प्रशिक्षण एवं प्राक्-सम्पुष्टि परीक्षा से छूट दिये जाने के बारे में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उनके मामले में सचिवालय अनुदेश के अनुबंध (अध्याय-२) के नियम-९ (२) (ख) को शिथिल कर, संतोषजनक परीक्ष्यमाण अवधि पूरी करने की तिथि से सम्पुष्ट किया जाय।

(सी० आर० वेंकटरामन),
सरकार के सचिव।

ज्ञमा०— ८६७९।

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।

संकल्प

पटना, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७।

विषय :— बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सहायक के सुरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन।

कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-६१३ दिनांक २९ जून, १९७३ में उद्घोषित निर्णयानुसार सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों में तृतीय वर्ग के अराजपत्रित पदों, जैसे निम्नवर्गीय सहायक, आशुलिपिक, टंकक, दिनचर्यालिपिक, अभिलेखवाहक आदि पदों पर नियुक्ति के लिए आयोग प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगी और उसके द्वारा तैयार तथा अनुशंसित की गई सूची से उक्त कोटि के पदों पर नियुक्ति की जायगी।

२ — कार्मिक विभाग द्वारा सन् १९७३ में सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के निम्नवर्गीय सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सामान्य निम्नवर्गीय सहायक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा की सफल सूची में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार अब नियुक्ति हेतु आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं हैं और इधर विभिन्न विभागों से आरक्षित पदों पर नियुक्ति हेतु आवंटन के लिए मांग-पत्र कार्मिक विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन आरक्षित पदों को भरने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए ही एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन शीघ्राति-शीघ्र किया जाय ताकि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में सहायक के आरक्षित पद शीघ्रातिशीघ्र भरे जा सकें।

३— इस परीक्षा के आयोजन में निम्नांकित पद्धतियां एवं नियम अनुपालनीय होंगे —

(क) इस परीक्षा में मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही सम्मिलित होंगे।

(ख) परीक्षा में सम्मिलित किये जानेवाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा परीक्षा वर्ष की १ली अगस्त को १८ वर्ष से कम एवं ३५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत ज्ञाप संख्या-२०३६६ दिनांक ११-१०-१९७४ में सहायकों के लिए यथा विनिर्धारित पाठ्यक्रम ही इस परीक्षा के लिए भी होंगे ।

(घ) इस परीक्षा के लिए परीक्षा फीस यथा कार्मिक विभाग के संकल्प संख्या-६१३ दिनांक २९-६-१९७३ द्वारा निर्धारित मात्र दो रुपये ५० पैसे होंगे ।

आदेश :— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में जन-साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय ।

२— यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सचिवालय, बिहार लोक सेवा आयोग / महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०— (मुकुन्द प्रसाद),
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञाप संख्या-१०/ परी०-९०४/७७ का०—९८९

पटना, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

अनुरोध है कि इसकी २०० प्रतियां कार्मिक विभाग को शीघ्र भेजी जाय ।

(रामचन्द्र घोषाल),
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञाप सं०-१०/ परी०-९०४/७७ का०—९८९

पटना, दिनांक ६ अक्तूबर, १९७७ ।

प्रतिलिपि—सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/ महालेखाकार, बिहार / सरकार के सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष / सभी जिला पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित ।

२— बिहार लोक सेवा आयोग से अनुरोध है कि इस सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर दिसम्बर, १९७७ तक परीक्षोत्तीर्ण उम्मीदवारों की अनुशंसा-सूची कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

(रामचन्द्र घोषाल)
सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक /१० परी० -१७०६/७८ का० ९०९।

बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग।

प्रेषक,

श्री ईश्वरी सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलायुक्त एवं मुख्य वन संरक्षक, रांची, बिहार।

पटना-१५, दिनांक २९ जुलाई, १९७८।

विषय :— सहायक के पदों पर की गई अनियमित नियुक्तियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या ९०७, दिनांक ८-६-७६ के प्रसंग में मुझे कहना है कि उक्त संकल्प के द्वारा सरकार का यह निर्णय घोषित किया गया था कि निम्नवर्गीय सहायक के पद पर बिना विहित परीक्षा में उत्तीर्ण किसी व्यक्ति की सीधी नियुक्ति दिनांक २-३-७६ से नहीं की जाय तथा इसे कड़ाई के साथ पालन किया जाय। साथ ही सरकार का यह भी निर्णय संसूचित किया गया था कि यदि किसी विभाग द्वारा २-३-७६ के बाद इस तरह की अनियमित नियुक्ति की गई तो कार्मिक विभाग इस आदेश का उल्लंघन करने के जिम्मेवार पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करे।

इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद भी कुछ विभागों / कार्यालयों के सम्बन्ध में सरकार को ऐसी शिकायतें यदा-कदा प्राप्त हो रही हैं कि सहायक के पद पर अनियमित नियुक्तियां अभी भी की जा रही हैं एवं इस प्रकार उक्त सरकारी निर्णय की अवहेलना धड़ल्ले के साथ हो रही है। इस बिन्दु पर भली भांति विचार करने के पश्चात् सरकार ने पुनः निर्णय लिया है कि सभी विभागीय प्रधान से अनुरोध किया जाय कि वे अपने विभाग/कार्यालय में इसकी छानबीन कर देखें कि कार्मिक विभाग के उक्त संकल्प में निहित अनुदेशों की अवहेलना कर क्या किसी गैर-परीक्षोत्तीर्ण व्यक्ति की नियुक्ति सहायक के पद पर २-३-७६ के बाद से की गई है और अगर की गई है, तो वे कृपया उन अनियमित नियुक्तियों को अविलम्ब रद्द कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को उसकी सूचना तत्काल दें तथा जो लोग उक्त अनियमित नियुक्ति के लिए जिम्मेवार हों उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को अविलम्ब उपलब्ध कराएं ताकि उनके विरुद्ध समुचित अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके।

अतः अनुरोध है कि सरकार के इस निर्णय के आलोक में कृपया अविलम्ब कार्रवाई कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (परीक्षा शाखा) को वस्तुस्थिति से तुरत अवगत कराएँ।

विश्वासभाजन,
(ईश्वरी प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।